

राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1(3) आप्रसआ/ओला०/2017/ ५३५३-७२
दिनांक १४.५.२०१७ के द्वारा राज्य के श्रीगंगानगर, जैसलमेर, करौली एवं जोधपुर के ५७
ग्रामों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।

राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णयनुसार अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में प्रभावित
काश्तकारों से भू-राजस्व वसूली को स्थगन किया जाकर इस संबंध में जारी निर्देशों की प्रति
इस विभाग को भी प्रेषित करने की कृपा करें।

संलग्नः—अधिसूचना की प्रति

भवदीय,

(हेमन्त कुमार गेरा)
शासन सचिव

प्रमुख शासन सचिव,
राजस्व विभाग,
राज० जयपुर।

एफ 1(3)आ०प्र०एवंसहा/ओला०/2017/ ५३१७
जयपुर, दिनांक १४.५.१७